"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2010—आश्विन 16, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993) आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997) कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

श्रीमती बारिक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं ज़िम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. (1997) संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं एवं विशेष सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री धनंजय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् अधिसमय वेतनमान का संवर्गीय पद, आयुक्त, आदिवासी विकास के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा एवं राज्य साक्षरता मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को अवकाश से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-83/2010/गृह-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला राजनांदगांव के स्वीकृत पुलिस चौकी तेरेगांव को ग्राम-कंदाड़ी में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. क्र. 245/31417/ब-1/चार, दिनांक 10-09-2010 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-85/2010/गृह-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, डूमरखोल थाना, राजपुर, जिला सरगुजा अंतर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी को परिवर्तन कर ग्राम डबरा में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. क्र. 243/31361/ब-1/चार, दिनांक 10-09-2010 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-84/2010/गृह-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा स्वीकृत पुलिस चौकी बड़े दमाली को परिवर्तन कर थाना लखनपुर अंतर्गत ग्राम कुन्नी में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. क्र. 244/31359/ब-1/चार, दिनांक 10-09-2010 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-87/2010/गृह-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला कांकेर के अप्रारंभ थाना सितरम को ग्राम छोटेबेठिया तथा थाना चारगांव को ग्राम सिकसोड में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. क्र. 254/31360/ब-1/चार, दिनांक 16-09-2010 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक/3682/F-04/01/2010/14-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 16 के अंतर्गत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टरों को मंडी समिति के निर्वाचन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावें/आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तैयार की गई मतदाता सूची के किसी प्रवृष्टि या प्रविष्टियों के संबंध में अपील प्रस्तुत करने के लिए नियम 10 (5) के प्रयोजनार्थ जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर में से एक या एक से अधिक अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक/3684/F-04/01/2010/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11, सहपठित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित मंडी समिति के निर्वाचन के लिए कॉलम (3) में पदाभिहित अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कॉलम (4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार, किसी एक को उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत करता है तथा यह निर्देश देता है कि निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र, सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित होगा :—

क्र.	मंडी समिति	अधिकारी का पदनाम जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.	कलेक्टर	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक/3770/एफ-4/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11, सहपठित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा

नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित मंडी समिति के निर्वाचन के लिए कॉलम (3) में पदाभिहित अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग आफिसर तथा कॉलम (4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने के लिये, जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत करता है तथा यह निर्देश देता है कि रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर का अधिकार क्षेत्र, सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित क्षेत्र होगा :—

क्र.	मंडी समिति	अधिकारी का पदनाम जिसे रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची—एक के अनुक्रमांक-4 के बाद निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"4 (क) भवन एवं सड़क निर्माण के रूप में लाये जाने वाले निम्न श्रेणी चूनापत्थर"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 20th September 2010

No. 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 1996, namely;—

AMENDMENT

Following clause shall be constituted after serial No. 4 of schedule-I of said Rule, namely :—

4 (k) Low grade Limestone as Building and road material.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-13/2010/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (5) एवं (6) में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिये आरक्षित करती है :—

तालिका

क्र. (1)	वनमंडल एवं जिला (2)	रेंज/तहसील (3)	टोपोशीट नं. (4)	देशांश (5)	अक्षांश (6)
1.	बीजापुर, बस्तर एवं नारायणपुर	बारसूर	65 E/7	A 81°15' 00" to B 81°25' 00"	19°15' 00" to 19°20' 00"
2.	नारायणपुर	सोनपुर पूर्व एवं मातला	65 E/2	81°00' 00" to 81°10' 00"	19°30' 00" to 19°35' 00"
3.	नारायणपुर	सोनपुर पूर्व एवं मातला	65 E/2	81°00' 00" to 81°10' 00"	19°40' 00" to 19°45' 00"
4.	नारायणपुर	ओरछा	65 A/14	A 80°50' 00" B 81°00' 00" C 81°00' 00" D 80°52' 45" E 80°50' 00"	19°37' 00" 19°37' 00" 19°30' 00" 19°30' 00" 19°34' 00"
				राज्य सीमा पर बिन्दु D से E	

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-13/2010/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2010/12, दिनांक 23-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd September 2010

No. F 7-13/2010/12.—In exercise of the powers conferred by sub-Rule (1) of Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby, reserve areas fall within the longitudes and latitudes mentioned in column (5) and (6), the following table for survey/prospecting of Iron Ore and other minerals by the Directorate of Geology & Mining Chhattisgarh, Raipur, or through it, leaving the recommended and sanctioned PL/ML areas before the date of this notification.

TABLE

SN	Forest Division and District	Range/Tehsil	Toposheet No.	Longitude	Latitude
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bijapur, Bastar and Narayanpur	Barsur	65 E/7	A 81°15' 00" to B 81°25' 00"	19°15' 00" to 19°20' 00"
2.	Narayanpur	Sonpur East and Matala	65 E/2	81°00' 00" to 81°10' 00"	19°30' 00" to 19°35' 00"
3.	Narayanpur	Sonpur East and Matala	65 E/2	81°00' 00" to 81°10' 00"	19°40' 00" to 19°45' 00"
4.	Narayanpur	Orcha	65 A/14	A 80°50' 00"	19°37' 00"
				B 81°00' 00"	19°37' 00"
				C 81°00' 00"	19°30' 00"
				D 80°52' 45"	19°30' 00"
				E 80°50' 00"	19°34' 00"
				Point D to E along the State boundary	

2. The notification shall remain in force for 5 years from the date of publication in the official gazette. No mineral concession will be sanctioned under the provision of rule 74 (2) of Mineral Concession Rule 1960, on the effect of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-37/2010/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (दो) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विभागाध्यक्ष;

   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

   (ज) "सेवा से अभिप्रेत" है, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक (तृतीय श्रेणी) (अराजपत्रित) सेवा;

   (झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों.

   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती करके अथवा मेरिट के आधार पर या दोनों के द्वारा चयन.

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लेखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

(ग) ऐसी सेवा में ऐसे पद मौलिक रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय (अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट) कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विभागाध्यक्ष की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो विभागाध्यक्ष सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों से भिन्न, जिन्हें उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो.

परन्तु विभागीय अभ्यर्थी के मामले में उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्षों तक शिथिलनीय होगी. विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में अतिरिक्त पांच वर्षों की छूट का लाभ महिला नीति, 1997 के अतिरिक्त दिया जाएगा.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त

करने वाले कर्मचारियों, कार्य भारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— पद "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ: मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को जो "भूतपूर्व सैनिक" हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार के लिए नामांकित किया गया हो और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कर्मचारी ;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त कर दिए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छ: माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया हो, इत्यादि.

टिप्पणी - (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) एवं (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए प्रवेश दिया गया है, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें.**— अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाए अनुसार सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

परन्तु यह कि अपवादित मामलों में, विभागाध्यक्ष ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित कोई भी शैक्षणिक अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो चयन के लिए अभ्यर्थी को उचित ठहराते हों.

परन्तु यह भी कि वे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह है किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो शासन के द्वारा विशिष्टत: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, डिग्री प्राप्त की है को भी विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए विचार में लिया जा सकता है.

(तीन) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न को, विभागाध्यक्ष द्वारा उसे चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में विभागाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा.**— चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में विभागाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का, जिसे विभागाध्यक्ष ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया हो, समिति द्वारा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा.

11. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि विभागाध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थी का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा उसके साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा.

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचीत जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

महिला अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार 30 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए

गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थी उप-नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जा सकेंगे.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए या आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों के बीच से भरी जाएंगी तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आगामी चयन हेतु आरक्षित रहेगी.

परन्तु आगामी चयन में समस्त आरक्षित रिक्तियां जिसमें अतिरिक्त रिक्तियां भी सम्मिलित हैं, की पूर्ति के लिए यदि उपयुक्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो, अतिरिक्त रिक्तियों या उनमें से कोई ऐसे नहीं भरी जाएंगी, वे समाप्त हो जाएंगी.

12. **विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की गई अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि विभागाध्यक्ष अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर के अनुसार अर्ह नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं, औद्योगिक न्यायालय के कार्यालय में संधारित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि विभागाध्यक्ष का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

(3) (एक) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण होगा.

(दो) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार रोस्टर लागू होगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगी. '

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 01 जनवरी को, अनुसूची-चार के कालम (2) में उल्लिखित पद/सेवा (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो.

परन्तु यह कि इस नियम के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति की चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिए उनके विहित सेवा की अवधि पूरी करने के आधार पर उनसे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा.

परन्तु यह और कि, यदि इस प्रकार अवधारित किए गए उपयुक्त अधिकारियों की अपेक्षित संख्या क्षेत्र में उपलब्ध न हो, तो समिति द्वारा आवश्यक विचार कर लिखित में कारणों को दर्शाते हुए क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा.

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, दो वर्षों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में, आपवादिक रूप से योग्य तथा उपयुक्त हों, सूची में उससे वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रति वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, यह प्रस्तावित किया जाए कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण हेतु अपने कारण लेखबद्ध करेगी.

16. **चयन सूची.—**

(1) विभागाध्यक्ष, समिति द्वारा तैयार की गई सूची के साथ-साथ विभाग को प्राप्त अन्य दस्तावेजों पर विचार करेगा, जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि विभागाध्यक्ष, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो विभागाध्यक्ष प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हो, के साथ, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

21. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

अनुसूची-एक

[नियम-4 (1) तथा 5 देखिये]

छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा, सेवा का वर्गीकरण, वेतमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान/ग्रेड पे	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्य कार्यालय)	1	तृतीय श्रेणी	5500-9000	
2.	निज सहायक	1	तदैव	5500-9000	
3.	सहायक लेखाधिकारी	1	तदैव	5000-8000	
4.	सहायक अधीक्षक	10	तदैव	5000-8000	
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	3	तदैव	4500-7000	
6.	लेखापाल (बेंच)	1	तदैव	4000-6000	
7.	सहायक ग्रेड-दो	19	तदैव	4000-6000	
8.	सहायक ग्रेड-तीन	20	तदैव	3050-4590	
9.	स्टेनो टाइपिस्ट	8	तदैव	3050-4590+विशेष वेतन 125 रुपए प्रति माह	

अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिये)

छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	पद तथा सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा नियम 6 (1) (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियम 6 (1) (ख)	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानांतरण के द्वारा नियम 6 (1) (ग)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग			-	-	-	
	1. अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्य कार्यालय)	1	-	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	निज सहायक	1	–	100%	–	
3.	सहायक लेखाधिकारी	1	–	–	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
4.	सहायक अधीक्षक	10	–	100%	–	
5.	शीघ्र लेखक ग्रेड-तीन	3	50%	50%	–	
6.	लेखापाल (बेंच)	1	–	100%	–	
7.	सहायक ग्रेड-दो	19	–	100%	–	
8.	सहायक ग्रेड-तीन	20	75%	25%	–	
9.	स्टेनो टाइपिस्ट	8	100%	–	–	

नोट :— सहायक ग्रेड-तीन के 25% पद उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हों.

अनुसूची-तीन

(नियम-8 देखिये)

छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं

विभाग का नाम (1)	पद तथा सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	टिप्पणियां (6)
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(एक) हायर सेकेण्डरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो. (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा. (तीन) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (चार) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	स्टेनो टाइपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(एक) हायर सेकेण्डरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो. (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा. (तीन) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (चार) हिन्दी शीघ्रलेखन में अनुभव (न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट) (पांच) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	

अनुसूची-चार

(नियम-14 देखिये)

छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (सभी पद)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक	5 वर्ष	अध्यक्ष-अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़.	
	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	निज सहायक	5 वर्ष	सदस्य-सदस्य जज औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़.	
	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	छानबीन समिति-वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी तथा आरक्षित वर्ग हेतु एक सदस्य, जैसा कि अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ मनोनीत करे.	
	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल	5 वर्ष		
	स्टेनो टाइपिस्ट	शीघ्र लेखक	5 वर्ष		
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष		

Raipur, the 16th September 2010

No. F 1-37/2010/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment and conditions of service of the members of the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (i) These rules may be called the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010.

   (ii) It shall come into force with from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Head of the Department;

   (b) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

   (c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

   (d) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;

   (e) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

   (f) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

   (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification;

   (h) "Service" means the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service;

   (i) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.—** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—
   (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

   (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and

   (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**—The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I:

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.—**

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination/Selection or by Selection on the basis of merit or by both.

(b) By promotion of members of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons holding substantively such posts in such service as may be specified.

(2) The number of persons recruited under clause (a) and clause (b) of sub-rule (1) shall not; at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts (as specified in Schedule-I).

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Head of the Department, exigencies of the service so require, the Head of the Department may, adopt such methods of requirement to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.—** All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Head of the Department and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruits.—**In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age :—**

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III, on the first day of January next following the date of commencement of the selection:

Provided that there will be no upper age limit in the case of departmental candidate.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes or Other Backward Classes, widow, destitute and divorced women shall be given benefit of relaxation of additional five years in the upper age limit apart from the women policy, 1997.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than thirty eight years of age.

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than thirty eight years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work-charged employees and the employees working in the project Implementing Committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided

that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation –The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short-term engagement.

(b) fulfilling the condition of enrollment.

(3) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers):

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

Explanation :- Candidates, who are admitted to the selection under the age concession mentioned in rule 8 (I) (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case shall these age limits be relaxed.

(II) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III:

Provided that in exceptional cases, the Head of the Department may treat as qualified any candidate who though not possess any of the qualifications prescribed in this clause but has passed examinations conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Head of the Department justifies the candidate as eligible for the examination/selection.

Provided further that candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities, if such universities are specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of tne head of the Department.

(III) **Fees.**— The Candidate must pay the fees if any prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by Head of the Department to disqualify him for selection.

10. **Head of the Department's decision about the eligibility of candidates final.**— The decision of the Head of the Department as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Head of the Department shall be interviewed by the Committee.

11. **Direct Recruitment by Selection.**—

(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Head of Department, may from time to time determine.

(2) The selection of candidate for the service shall be made by the Head of Depratment after interviewing them.

(3) At the time of recruitment in the service the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services; (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Head of the Department to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the next selection:

Provided that if sufficient number of suitable candidates is not available at the next selection to fill all the reserved vacancies, including the additional vacancies, the additional vacancies, or such of them as are not filled, shall lapse.

12. **List of Candidates Approved by the Head of the Department.**—

(1) A list arranged in order of merits of the candidates who have qualified by such standards as the head of the Department may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that Standard are declared by the Head of the Department to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be maintained in the office of the Industrial Court.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Head of the Department is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) (i) There shall be reservation in Promotion in accordance with the Chhattisgarh Lok Sewa (Promotion) Rule, 2003.

(ii) Roster shall be applicable in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instruction issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—** The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year, had completed 3 years of service (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (2) of the Schedule-IV or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government :

Provided that under this rule the case of any junior person for selection Grade/Promotion on the basis of having completed the term of his prescribed service shall not be considered before a senior to him.

Provided further that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

15. **Preparation of list of suitable Persons.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such person as to satisfy the conditions prescribed in Rule-14 above and held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV, at the time of preparation of such select list :

Provided that any junior employee who, in the opinion of the Committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of employee senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision as the case may be, it is proposed to supersede any member of the Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select list.—**

(1) The Head of the Department shall consider the list prepared by the committee alongwith the other documents received from the Department unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Head of the Department considers it necesary to make any changes in the list received from the committee, the Head of the Department shall inform the committee of the changes proposed and, after taking into account the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion, be just and proper.

(3) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule-15.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any persons included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Head of the Department and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

17. **Appointment to the Service from the Select List.—**

(1) Appointment of the persons included in the Select List shall be made to the posts bourn on the cadre of the service shall follow the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 :

Provided that, where administrative exigencies so require a person whose name is not included in the select list or who is next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.—** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Head of the Department, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him, than that provided in these rules.

21. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and saving.—** All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

SCHEDUL-I
[See Rule 4 (1) and 5]

Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Classification of Service, Pay scale and the Number of Post included in the Service

S. No.	Name of posts included in service	Number of posts	Classification	Scale of Pay/Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	01	Class-III	5500-9000	
2.	Personal Assistant	01	Class-III	5500-9000	
3.	Assistant Account Officer	01	Class-III	5000-8000	
4.	Assistant Superintendent	10	Class-III	5000-8000	
5.	Stenographer Grade-III	03	Class-III	4500-7000	
6.	Accountant (Bench)	01	Class-III	4000-6000	
7.	Assistant Grade-II	19	Class-III	4000-6000	
8.	Assistant Grade-III	20	Class-III	3050-4590	
9.	Steno-Typist	08	Class-III	3050-4590+Spl. Pay 125/- p. m.	

SCHEDUL-II
(See Rule 6)

Chhattisgarh Labour Judiciary Service Class-III (Non-Gazetted) Method of Recruitment

Name of Department	Name of the post and service	Total No. of post	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruitment rule 6 (1) (a)	By Promotion of Member of Service rule 6 (1) (b)	By Transfer of Person from other Service rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chhattisgarh Labour Department			-	-	-	
	1. Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	01	-	100%	-	
	2. Personal Assistant	01	-	100%	-	
	3. Assistant Account Officer	01	-	-	By Deputation	
	4. Assistant Superintendent	10	-	100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Stenographer Grade-III	03	50%	50%	-	
6.	Accountant (Bench)	01	-	100%	-	
7.	Assistant Grade-II	19	-	100%	-	
8.	Assistant Grade-III	20	75%	25%	-	
9.	Steno-Typist	08	100%	-	-	

Note :- 25% post of Assistant Grade-III filled by Class-IV employees who have passed Higher Secondary and have completed 05 years of service.

SCHEDUL-III
(See Rule 8)

Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Qualification of Persons to be filled by Direct Recruitment

Name of Department (1)	Name of post and service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification prescribed (5)	Remrks (6)
Chhattisgarh Labour Department	Assistant Grade-III	18 Years	35 Years	(1) Should have passed Higher Secondary or any examination equivalent to this. (2) One year Diploma in Computer from any recognised institute. (3) Hindi Typing examination from Chhattisgarh Shorthand and Typing Board. or from any recognized institution should have passed. (4) One year Diploma in Data Entry/Programming from any recognized institute and must have depression of 10,000 per hour in Data Entry.	
	Steno-Typist	18 Years	35 Years	(1) Should have passed Higher Secondary or any examination equivalent to this.. (2) One year Diploma in Computer from any recognised institute. (3) Hindi Typing examination from Chhattisgarh Shorthand and Typing Board or from any recognized institution should have passed.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(4) Experience in Hindi Stenography (minimum 60 words per minute).	
				(4) One year Diploma in Data Entry/Programming from any recognized institute and must have depression of 10,000 per hour in Data Entry.	

SCHEDUL-IV
(See Rule 14)

Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service

Name of Department (1)	Name of service or post from which promotion is to be made (2)	Name of service or post to which promotion is to be made (3)	Service experience for promotion (4)	Name of members of the Departmental Promotion Committee (all post) (5)	Remarks (6)
Chhattisgarh Labour Department	Assistant Superintendent	Superintendent/ Joint Registrar	5 Years	**President**—President Industrial Court, C. G.	
	Stenographer Grade-III	Personal Assistant	5 Years	**Member**—Member Judge Industrial Court C. G.	
	Assistant Grade-II/Accountant	Assistant Superintendent	5 Years	**Scrutiny Committee**—Senior Presiding Officer and one Member for the reserve category as per nominated by the President Industrial Court C. G.	
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	5 Years		
	Steno Typist	Stenographer	5 Years		
	Class-IV employees	Assistant Grade-III	5 Years		

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-29/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त, मुख्यालय रायपुर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत "रजिस्ट्रार ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह यूनियन" नियुक्त करता है.

No. F 10-29/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 5 of the Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of the all previous notifications the state Govt. hereby appoints Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner, O/o Labour Commissioner, Raipur as the Registrar of Representative Union of the State of Chhattisgarh in relation to Chhattisgarh Industrial Relation whose objects are confined to the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 25-4/2010/नौ/55.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के चौथे अध्याय के प्रयोजनों हेतु निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है :—

(1) श्री संजय सिंह झड़ेकार
(2) श्री कमलकान्त पाटनवार
(3) श्री हिरेन मनु भाई पटेल
(4) श्री राजेश क्षत्री
(5) श्री राज कुमार अग्रवाल
(6) श्री संजय राजपूत
(7) कु. मीनाक्षी वैष्णव
(8) श्रीमती तृप्ति जैन
(9) श्री बसन्त कुमार कौशिक
(10) श्री बेनी राम साहू
(11) श्री रविन्द्र कुमार गेंदले
(12) श्री भीष्मदेव सिंह कंवर
(13) श्री महेश कुमार नागवंशी
(14) श्री संजय कुमार नेताम
(15) श्री प्रीतम ओगरे
(16) कु. रमिला भगत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 25-4/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 29th September 2010

No. F 25-4/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints the following Drugs Inspectors as Inspector for the purposes of Chapter-IV of the said Act :—

(1) Shri Sanjay Singh Jhadekar
(2) Shri Kamalkant Patanwar
(3) Shri Hiren Manu Bhai Patel
(4) Shri Rajesh Chhatri
(5) Shri Raj Kumar Agrawal
(6) Shri Sanjay Rajput
(7) Ku. Minaxi Vaishnav
(8) Smt. Tripti Jain
(9) Shri Basant Kumar Kaushik
(10) Shri Beni Ram Sahu
(11) Shri Ravindra Kumar Gendle
(12) Shri Bhishm Deo Singh Kanwar
(13) Shri Mahesh Kumar Nagwanshi
(14) Shri Sanjay Kumar Netam
(15) Shri Pritam Ogrey
(16) Ku. Ramila Bhagat

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	पंडरीपानी प. ह. नं. 17	0.235	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	चपले टेमटेमा पंडरीपानी मार्ग पर दतार नाला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/9059/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	ब्राम्हणभेड़ी प. ह. नं. 09	1.091	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ नदी पर सेतु निर्माण हेतु मार्ग निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/9060/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	थुहाडबरी प. ह. नं. 11	0.580	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ नदी पर सेतु निर्माण हेतु मार्ग निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 975/वाचक-1/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	विशुनपुर	0.429	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उप संभाग, अंबिकापुर.	विशुंनपुर, तेलाईधार मार्ग पर माण्ड सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 977/वाचक-1/भूं-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	कुनमेरा	1.099	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उप संभाग, अंबिकापुर.	ढोढागांव कुनमेरा मार्ग पर मैनी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक/5857/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-पखांजूर
(ग) नगर/ग्राम-पी.व्ही.-47
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76	0.09
74	0.05
73	0.10
296	0.17
65	0.02
64	0.06
26	0.08
25	0.07
23	0.04
22	0.05
21	0.05
20	0.04
50	0.15
298/2	0.25

	(1)	(2)
	298/1	0.36
योग		1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पी.व्ही.-47 दायीं तट नहर एवं माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पखांजूर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11044/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिहारपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	265	0.06
योग		0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11046/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कछौड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	939	0.01
योग		0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11048/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नागपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/4	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11050/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोड़की
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11052/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11054/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
416	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11056/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- चनवारीडाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11058/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केल्हारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/2, 41/2	0.13
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11061/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खरला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11063/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-श्रीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11065/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केलुवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227	0.04
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11067/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुंटाडाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
729	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11069/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11071/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/1	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11073/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूडाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11075/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिद्धडाड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
03	0.50
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11077/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पहुंवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/1	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11079/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मटुकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11081/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11083/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-अमृतधारा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11085/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-डुगला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11087/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हंसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.04
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11099/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिछियाटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
682	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11101/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़धोवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	77	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11103/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिरईपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/8	0.01
योग		0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11105/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/1	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11107/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खोगापानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
365	0.36
योग	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11109/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पुरानी लेदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11111/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
(ग) नगर/ग्राम-आमादमक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11113/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बिरौड़ीडांड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11115/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डिहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110	0.04
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11117/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छिपछिपी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
193	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11119/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रोकड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80	0.01
योग	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11121/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-सोनहरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11123/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-नवाडीह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11125/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरिया
 (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-भौता
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
567	0.04
योग	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11127/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बुढवाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/11129/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केवटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123	0.18
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमती ऋतुसेन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

(रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर, छ. ग.)
नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक 5950/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 एवं 50 के अंतर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 के प्रावधानों के अनुरूप पांच ग्रामों क्रमशः डूण्डा, टिकरापारा, बोरियाखुर्द, देवपुरी एवं डूमरतराई के भागों के भवनों, मार्गों, नालियों, मल-वहन लाइनों तथा अन्य वैसी ही सुख-सुविधाओं के प्रयोजन के लिये प्लाटों के पुनर्गठन हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) तैयार की गई है. अधिनियम 1973 की धारा 50 (7) के अंतर्गत अंतिम नगर विकास योजना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 16-07-10 को प्रकाशन किया जा चुका है. अतः राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक 16-07-10 से नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) लागू हो चुकी है.

अतः छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा 8 (एक) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) के योजना क्षेत्र के अंतर्गत नई गलियों अथवा सड़कों का अभिन्यास, निर्माण, व्यपवर्तन, विस्तार, परिवर्तन, सुधार तथा गलियों तथा सड़कों का समापन एवं संसूचनाओं के विच्छेदन इत्यादि प्रयोजन हेतु समस्त भूमियां, सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त रायपुर विकास प्राधिकरण जो कि रायपुर में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी है, में पूर्णतः निहित हो चुकी है. यद्यपि अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 8 (एक) में दी गई कोई भी बात, उस उपधारा के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के स्वामित्व के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.

उपरोक्तानुसार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के खसरा नंबरों का विवरण निम्नानुसार है :—

KHASRA LIST OF SECTOR LEVEL ROADS IN TDS-04 [KAMAL VIHAR]

SECTOR-01

18 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 565, 567, 568, 571, 583, 584, 585, 668, 670/2, 672, 673/5, 676/1, 677, 680, 681.

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 194, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 196/3, 197/2, 198, 199, 200, 201/2, 203/2, 203/4, 205/1, 206/1, 206/2, 206/3, 214/1, 224/2, 227/1, 228/1, 228/4, 228/6, 229, 230/1, 230/2, 231/, 233, 235/3, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/4, 241/15, 241/17, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255.

12 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 565, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 579, 580, 580/1, 580/2, 581, 582, 583, 584, 585, 571, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 651, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673/1, 673/3, 676/3, 677, 680, 681.

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 194, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 196/3, 197/2, 198, 199, 200, 201/2, 203/2, 203/4, 206/3, 214/1, 226/1, 226/2, 226/3, 227/2, 229, 230/2, 231, 231/1, 231/3, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/4, 241/7, 241/14, 241/17, 241/18, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255.

9 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 563, 565, 573, 580/1, 580/2, 670/1, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/3, 677, 698.

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 194, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 196/1, 196/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/2, 202/1, 203/2, 203/4, 204/1, 206/3, 209/1, 214/1, 222, 224/2, 225, 226/3, 227/1, 227/2, 228/1, 230/2, 231, 234/1, 234/2, 235/3, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/4, 241/6, 241/7, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255.

7.5 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 563, 588, 665, 674, 675, 670/1, 673/4, 698.

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 209/1, 209/2, 210/1, 211/1, 222.

SECTOR-02

18 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 588, 659, 665, 694, 695/1, 695/2, 695/3, 706.

12 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 588, 591, 593/1, 593/2, 651, 656, 657, 664, 665, 674, 693, 694, 695/1, 695/2, 695/3, 696.

9 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 588, 591, 593/2, 651, 657, 658, 659, 660, 664, 665.

7.5 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 593/2, 593/3, 658, 659, 660.

SECTOR-04

18 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 701, 702, 703/6, 703/7, 704, 705/5, 706, 707, 711, 712, 713, 714, 716.

Dunda :- 1, 3, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 101/3, 111/1, 111/2, 113, 115/3, 116/1.

12 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 691, 692, 692/2, 692/9, 699/2, 700/1, 700/2, 703, 703/3, 703/4, 703/5, 705, 705/1, 705/3, 705/4, 705/5, 706, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/6, 710/7, 711, 712, 714, 716.

Dunda :- Part of Khasra Number— 3, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 96/1, 97, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 101/1, 102/1, 110/1, 112/1, 112/2, 113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 117, 118/2, 118/5, 119, 120, 121/2, 121/3, 121/4, 122/2, 137/1, 141/1, 141/3, 147.

9 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 691, 692, 692/8, 692/11, 699/2, 700/1, 700/2, 706, 708, 709.

Dunda :- Part of Khasra Number— 119, 121/2, 137/1, 138/2, 139/1, 140/1, 140/2, 141/1, 141/3, 141/4, 147.

7.5 M. WIDE ROAD

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 691, 692, 692/4, 692/6, 692/8, 692/11, 693, 698, 699/1, 699/2.

Dunda :- Part of Khasra Number— 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 143/1, 143/2, 143/3, 144, 145/1, 146/2.

SECTOR-05

18 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 334/2, 335, 336, 338/2, 338/3, 338/5, 338/6, 388/13, 338/14, 338/15, 338/16, 338/17, 339/1, 343/1, 344/3.

12 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 333/1, 333/2, 333/3, 334/1, 334/2, 337, 338, 338/1, 338/2, 338/4, 338/5, 338/6, 338/10, 338/11, 338/12, 338/15, 338/17, 339/1, 343/1.

Dunda :- Part of Khasra Number— 145/2, 146/1, 148/1.

9 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number—330, 330/2, 330/3, 331, 332, 337, 338/1, 338/2, 338/5, 338/10, 338/11, 338/12.

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 715.

7.5 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 330, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 341, 342/2, 342/3, 342/4.

SECTOR-06

18 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 6, 12/1, 11, 20, 22, 23, 24/1, 27/1, 27/2, 27/3, 37/1, 37/3, 38, 39/1, 39/2, 44, 49, 50, 51, 54, 56/11, 66/1, 93, 94/1, 94/2, 106, 124/3, 125/1, 125/3.

12 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 6, 10, 11, 13, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20, 21, 22, 24/1, 24/2, 24/4, 26, 25/2, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48/5, 48/6, 48/7, 49, 50, 51, 54, 56/11, 66/1, 66/46, 66/49, 66/50, 90/1, 90/2, 90/3, 90/9, 90/19, 91/3, 91/5, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95, 103/1, 104, 105, 106, 124/1, 124/2, 124/5, 125/5.

9 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 6, 13, 19/1, 19/4, 21, 22, 23, 24/2, 24/3, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 29, 32/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/4, 38/3, 42, 66/1, 90/1, 90/2, 90/3, 90/6, 90/9, 90/10, 90/19, 90/43, 92, 125/3, 125/5.

7.5 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 18/3, 19/1, 24/2, 66/1, 90/1, 90/3, 90/9, 90/10, 90/43, 92/1, 92/2, 95, 96/3, 103/1, 103/2, 103/3, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2, 109/3, 110/2, 110/3, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 124/2.

SECTOR-07 (A)

18 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 125/4, 126/1, 126/5, 126/6, 126/9, 126/10, 127/1, 128/1, 128/2, 129, 130, 152, 153, 154, 156/1, 156/6.

12 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 126/2, 126/4, 126/6, 126/9, 126/10, 126/14, 127/1, 133, 135, 137/2, 153, 154, 155, 156/1, 156/6.

9 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 126/7, 126/14, 127/1, 127/2, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 132, 134, 135, 150, 154.

7.5 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 127/2, 131/1, 131/2, 132, 134, 136, 137/2, 138/1, 139, 149/3, 150, 154.

SECTOR-08 (A)

18 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 352, 353/1, 353/4A, 353/5, 353/6, 356/2, 356/3, 365/1, 366/1, 367/1, 367/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375/1, 375/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383/2, 387.

Dunda :- Part of Khasra Number— 155.

12 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 342/1, 342/2, 345/1, 345/2, 345/3, 349/1, 349/3, 349/5, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 358/3, 364, 365/2, 366/2, 367/1, 367/2, 367/3, 369, 370, 371, 373, 374, 380.

Dunda :- Part of Khasra Number— 155.

9 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 342/1, 345/2, 346/1, 349/1, 352, 357/2, 359/1, 359/2, 359/3, 360/1, 360/2, 366/1, 366/2, 371, 381, 382, 383/1, 383/2, 386/1, 386/2, 386/3.

7.5 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 342/1, 346/1, 348, 349/1, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 365/1, 366/2, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/1, 386/3.

SECTOR-08 (B)

12 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 214/1, 222, 223/1, 223/2, 225, 227, 228, 228/2, 229, 231.

9 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 231.

7.5 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 222, 223/2, 229, 231.

SECTOR-09

18 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 439, 440/1, 440/2, 441, 443, 445, 446, 447/1, 448, 449, 450, 451, 458, 459, 460.

12 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 443, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 458, 459, 468, 469, 470, 471/2, 472/1, 472/2.

9 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 439, 440/2, 441, 442, 444, 445, 446, 447/2, 451, 468, 469, 471/1, 472/2.

7.5 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 440/2, 442, 444, 469.

SECTOR-10

18 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, 65/10, 65/13, 65/14, 66/58, 71/1, 285, 286, 287, 288, 289, 290.

12 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 41, 58, 65/4, 65/6, 65/16, 66/6, 66/10, 66/11, 66/12, 66/16, 66/17, 66/32, 66/34, 66/38, 66/55, 66/57, 67, 68, 69, 70, 71/1, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79/2, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297/1, 297/2, 298, 299, 301, 303, 304/1.

9 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 33, 34, 35, 39/4, 39/5, 40, 41, 57, 66/6, 66/16, 66/32, 66/38, 299, 302, 303, 304/2.

7.5 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 31, 32/1, 33, 34, 35, 39/4, 39/5

SECTOR-11 (A)

18 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 199, 204, 205/2, 211, 475, 476, 477, 478.

12 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 206, 208, 209, 211, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 219/1, 219/2, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 489.

9 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 202/1, 203, 204, 214/3, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 489, 490, 491.

7.5 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 202/2, 211, 215/1, 215/2.

SECTOR-11 (B)

18 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 496, 501, 502, 504, 505, 506, 572.

12 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 252, 497, 500/1, 502, 503, 504, 507/1, 508/1, 508/6, 508/7, 509, 510, 515, 520, 521, 561/1, 561/2, 572, 574.

9 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 415, 491, 507/1, 508/1, 508/6, 508/7, 509, 510, 515, 516/2, 520, 521, 571, 572.

SECTOR-12

18 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 319/3, 398/2, 401/1, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 405, 408, 410/1, 410/10, 418/3, 420/2, 420/3, 420/4, 424, 425, 426, 427, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 430/1, 430/3, 431, 432, 433, 435, 437, 437/4, 438/2, 448, 475, 486/2, 486/3, 488.

12 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 391/1, 392, 393, 394/1, 398/4, 400/1, 400/3, 400/6, 400/7, 401/1 401/2, 401/4, 401/5, 401/6, 402, 403, 404/1, 404/2, 404/5, 405, 406/2, 407/6, 408, 409, 410/1, 411, 412, 414, 416/3, 416/4, 416/5, 418/4, 420/1, 421/1, 421/2, 421/3, 422, 424, 426, 427, 429/3, 430/2, 431, 434, 435, 436, 437, 437/2, 437/4, 438/2, 486/2, 486/3, 486/4, 487/1, 490/1.

9 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 391/4, 391/5, 406/1, 407/2, 407/4, 407/5, 439/1, 439/2, 464/1, 464/7.

7.5 M. WIDE ROAD
Devpuri :- Part of Khasra Number— 405, 412, 414, 416/4, 416/5.

SECTOR-13

18 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 350, 351, 353, 355, 356, 357/2, 357/3, 357/9, 358, 477/1, 477/4, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 478/1, 478/2, 478/3, 479/1.

12 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 357/1, 357/2, 357/3, 357/5, 357/7, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/16, 357/33, 477/1, 477/3, 477/7, 479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 493.

9 M. WIDE ROAD
Dunda :- Part of Khasra Number— 357/11, 357/12, 357/15, 357/16, 357/17, 357/18, 357/21, 357/26, 357/31, 357/41, 465, 476, 477/6, 477/7, 478/1, 478/2, 478/3, 477/3, 477/4, 477/5.

7.5 M. WIDE ROAD

Dunda :- Part of Khasra Number— 351, 352, 353, 357, 357/2, 357/4, 357/18, 357/28, 357/33, 476.

SECTOR-14 (A)

12 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 243/1, 243/2, 243/3, 333, 334/1, 334/5, 335/1, 335/3, 335/4, 335/6, 336, 339/1, 339/2, 340, 341/2.

9 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 244, 245, 333, 335/4, 335/3.

SECTOR-14 (B)

12 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 311/1, 311/2, 311/3, 311/7, 311/8, 311/10.

SECTOR-15 (A)

18 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 318/14.

12 M. WIDE ROAD

Devpuri :- Part of Khasra Number— 318/4, 320/3, 320/4.

SECTOR-15 (B)

18 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 171/1, 347/1, 347/4, 347/8, 348/2.

12 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 343, 344/1, 344/2, 347/4, 348/1, 348/2.

9 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 340/5, 346/5, 241/1, 241/2, 341/3, 345, 346/2, 346/3, 346/6, 346/9, 346/14, 346/4, 347/2, 347/3, 347/6, 347/8.

Devpuri :- Part of Khasra Number— 476, 209.

SECTOR-15 (C)

12 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 308/2, 308/3, 308/4, 309, 310/1, 310/2, 311/2, 311/3, 311/8, 311/17.

9 M. WIDE ROAD

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 310/2, 311/3.

KHASRA LIST OF SCHEME LEVEL ROADS IN TDS-04 [KAMAL VIHAR]

RING ROAD-04 [75M. WIDE ROAD]

Dunda :- Part of Khasra Number— 27/4, 27/5, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 35, 36/1, 36/2, 39/1, 39/2, 39/4, 39/5, 40, 41, 42, 52, 53, 66/1, 66/7, 66/38, 66/58, 66/59, 90/1, 90/9, 91/1, 160, 161, 162/2, 162/4, 163, 164, 165, 167/1, 168, 169, 173/3, 173/4, 173/5, 199, 208, 209, 210/3.

Devpuri :- Part of Khasra Number— 209, 210/4, 385, 388, 389/2, 389/3, 390/2, 391/2, 391/3, 391/5, 392, 395/2, 396, 396/1, 396/3, 397, 398/1, 398/2, 398/4, 407/1, 407/2, 407/3, 438, 438/2, 447/1, 448/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 464/1, 464/2, 464/3, 464/7, 465, 466, 467, 468, 471, 472/1, 473, 474/2, 475/1, 475/2, 477/1, 477/2, 477/3.

M. R. NO. 21 [45 M. WIDE ROAD]

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 191/1, 193/2, 194, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 196/3, 197/2, 198, 199, 200, 201/2, 203/2, 203/4, 206/3, 214/1, 230/2, 231, 235/3, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/4, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 255.

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 588, 706, 677, 678, 679, 680, 682/1, 687/1, 687/2, 688/1, 692, 692/4, 692/6, 693, 695/3, 696, 697, 698.

M. R. NO. 39 [30 M. WIDE ROAD]

Dunda :- Part of Khasra Number— 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 13, 14, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48/4, 48/5, 48/6, 49, 54, 55, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 66/37, 96/1, 96/2, 96/3, 102/2, 103/6, 109/1, 109/2, 110/1, 111/1, 111/2, 121/1, 121/2, 122/2, 121/5, 122/5, 122/7, 122/9, 137/2, 137/3, 138/1, 138/2, 139, 140/1, 140/2, 148/3, 149/2, 149/3, 151/1, 152.

Devpuri :- Part of Khasra Number— 342/2, 342/3, 344/3, 345/1, 345/2, 346/1, 356/2, 357/1.

18 M. WIDE TDS ROAD IN BETWEEN SECTOR 3B & SECTOR 1

Boriyakhurd :- Part of Khasra Number— 194, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 196/3, 197/2, 198, 199, 200, 201/2, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 204/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/3, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213/2, 214/1, 230/2, 231, 235/3, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/4, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255.

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 580/1, 580/6, 585, 588, 590, 591, 593/1, 594/2, 651, 664, 665, 674, 688/1, 690, 691, 692, 692/2, 692/9, 693, 701.

Dunda :- Part of Khasra Number— 1, 3, 6, 14, 15/1, 98.

30 M. WIDE RDP ROAD IN BETWEEN SECTOR 4 & SECTOR 5

Tikrapara :- Part of Khasra Number— 588, 623, 624, 715, 716.

Dunda :- Part of Khasra Number— 144, 145/1, 145/2, 146/2, 148/2, 148/1, 149/1, 149/2, 150, 151/2, 152, 155, 158, 159, 160, 199, 209, 210/2, 211, 213/1, 213/2, 212/2, 214/2.

Devpuri :- Part of Khasra Number— 336, 337, 338/11, 338/12, 338/17, 383/2, 384, 385, 388.

PROPOSED. 30M. WIDE ROAD IN BETWEEN SECTOR 6 & SECTOR 7A & B

Dunda :- Part of Khasra Number— 24/2, 90/6, 90/43, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 92/1, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 124/4, 131/1, 131/2, 139.

24 M. WIDE ROAD IN BETWEEN SECTOR 7A & SECTOR 7B

Dunda :- Part of Khasra Number— 91/1, 126/4, 126/7, 126/8, 155, 156/1, 156/6, 157/3, 165, 166.

24 M. WIDE ROAD IN BETWEEN SECTOR 12 & SECTOR 13

Devpuri :- Part of Khasra Number— 438, 464/1, 464/7, 465, 475, 484, 492/2, 492/4.

24 M. WIDE ROAD IN BETWEEN SECTOR 13

Devpuri :- Part of Khasra Number— 480, 481, 494.

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 339/2, 240, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346/3, 349, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/9, 357/12, 358.

M. R. NO. 44 [75 M. WIDE BY PASS ROAD]

Dunda :- Part of Khasra Number— 252, 478, 479, 483, 484, 485, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 488, 489, 490, 491, 492.

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 308/8, 308/9, 308/10, 309, 311/2, 311/10.

18 M. WIDE ROAD [OVER EXISTING CANAL SECTOR 5, 8 & 9]

Devpuri :- Part of Khasra Number— 328

18 M. WIDE ROAD [OVER EXISTING CANAL SECTOR 8 & 9]

Devpuri :- Part of Khasra Number— 388

18 M. WIDE ROAD [OVER EXISTING CANAL SECTOR 13 & 15]

Dumartarai :- Part of Khasra Number— 349.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष,
रायपुर विकास प्राधिकरण.